

20.1.23

1.23

और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

30.1.23

उमम पक्ष - दो सदस्यों की हाजरी है तथा S/C दारिदल किमा जमा है।

SIC I 8-

हिरीम पक्ष - विवारी लाल साहु की हाजरी है।

31.1.23

31.1.23

उमम पक्ष - की हाजरी है।

उमम पक्ष के द्वारा न्यायालय में उपस्थित किया गया - पृथक् के अवलोकन के प्रारंभ होते हैं कि विवारी लाल साहु के संबंधित है, जिसका नियाउला इस न्यायालय के क्षेत्र प्रारंभ नहीं होता है।

उमम पक्ष द्वारा पृथक् के कंडिशन (16) में उल्लेख किया है कि विवारी लाल साहु के द्वारा के संबंधित मामला मुंबई न्यायालय में रिमाय - दिया है।

इसका कार्रवाई कार्यवाही प्रारंभ कर उल्लेख के लिए किया जा रहा है।

31/01/23